

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग :

लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2016

विषय- प्रादेशिक विकास दल के स्वयंसेवकों की पारिश्रमिक दरों में वृद्धि।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1767 / पचास-यु0क0-2015-102(पीवीडी) / 88, दिनांक 16 फरवरी, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रादेशिक विकास दल/प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों को सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2016 द्वारा प्रति स्वयंसेवक प्रतिदिन निर्धारित पारिश्रमिक रू.200/- को आदेश निर्गत करने की तिथि से बढ़ाकर रू. 250/- प्रतिदिन प्रति स्वयंसेवक निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षित दरें शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1425 / पचास-यु0क0-2013-102(पीवीडी) / 1998, दिनांक 12 नवम्बर, 2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- यू0ओ0-ई-2-559 / दस-2016, दिनांक 14 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव।

संख्या-398(1) / पचास-यु0क0-2016-102(पीवीडी) / 88 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

- 4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश,
- 6- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 7- समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 8- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

24/11/16
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।